बिहार सरकार
बिहार राज्य खाद्य आयोग

आवास सं० 19–20/84, ऑफिसर्स
फ्लैट, न्यू पुनाईचक, पटना–23

निविदा आमंत्रण सूचना

बिहार राज्य खाद्य आयोग कार्यालय हेतु अनिर्माणकारी उपस्कर (Non Building Assets) से सम्बन्धित सूची में अंकित सामग्रियों का क्रय एवं आपूर्ति वित्तीय वर्ष 2019–20 में किया जाना है, जिसके लिए इच्छुक आपूर्तिकर्त्ताओं से सीलबन्द निविदा बिहार राज्य खाद्य आयोग कार्यालय (आवास सं0–19–20/84, ऑफिसर्स फ्लैट, न्यू पुनाई चक, पटना–800023) में दिनांक 25.11.2019 के अपराह्न 5:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। दिनांक 14.11.2019 को Pre Bid बैठक बिहार राज्य खाद्य आयोग में अपराह्न 3:00 बजे आहूत की जाएगी जिसमें निविदा के सामग्रियों के सम्बन्ध में विमर्श किया जाएगा। Pre Bid बैठक के उपरांत आवश्यकतानुसार निविदा में संशोधन भी किया जाएगा जिसे विभागीय वेबसाईट https.ahd.bih.nic.in पर प्रदर्शित किया जाएगा। सदस्य सचिव, बिहार राज्य खाद्य आयोग, पटना के अध्यक्षता में गठित क्रय समिति के समक्ष निविदा दिनांक–26.11.2019 के 03:00 बजे (अप0) में खोली जायेगी, जिसमें निविदादाता अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति उपस्थित रहेंगे।

निविदा की शर्तें:–

1. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा (TECHNICAL AND FINANCIAL) अलग–अलग सील/मुहर बन्द लिफाफे में ली जायेगी जिन्हें एक लिफाफे में रखकर संलग्न कर समर्पित किया जाएगा।
2. निविदादाता समूह –'क' ,'ख' या 'ग' के सामग्रियों में से किसी एक अथवा अधिक समूहों के किसी एक या अधिक सामग्रियों के लिए निविदा समर्पित कर सकते हैं।
3. किसी एक समूह या अधिक समूहों के सामग्रियों के लिए निविदादाताओं को ₹10,000/– (दस हजार मात्र) रुपये ई0एम0डी0 की राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा जो सदस्य सचिव, बिहार राज्य खाद्य आयोग, पटना के पक्ष में भुगतेय होगा।
4. तकनीकी निविदा के साथ पैन नम्बर, अद्यतन आयकर विवरणी दाखिल करने का साक्ष्य, GST निबंधन एवं अनुभव प्रमाण–पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
5. फर्म का GEM PORTAL पर अनिवार्य रूप से निबंधन होना चाहिए।
6. निविदादाता अथवा संबंधित फर्म को इस आशय का शपथ पत्र मूल में समर्पित करना होगा कि उन्हें किसी सरकारी विभाग द्वारा पूर्व में काली सूची में नहीं डाला गया हो।
7. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं का ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
8. वित्तीय निविदा में सभी अनुमान्य कर एवं परिवहन व्यय शामिल करते हुए सामग्री की दर स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यक है। वित्तीय निविदा में कटिंग या ओभर राईटिंग मान्य नहीं होगा।

9. निविदा में अंकित दर के विरुद्ध आपूर्ति किये जाने वाले सामग्रियों के कैटलॉग के साथ निविदादाता अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि क्रय समिति के समक्ष उपस्थित रहेंगे, ताकि उच्च गुणवत्ता एवं न्यूनतम दर वाले को प्राथमिकता दी जा सके। निविदादाता द्वारा प्रति यूनिट दर अंकित किया जाना होगा।
10. सामग्री की आपूर्ति करने के उपरान्त विधिवत प्राप्ति रसीद समर्पित करने के पश्चात भुगतेय राशि का भुगतान किया जायेगा। किसी प्रकार का अग्रिम एवं परिवहन व्यय देय नहीं होगा।
11. निविदा स्वीकृति के पश्चात संबंधित सफल आपूर्तिकर्त्ता को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार एकरारनामा करना होगा तदुपरांत आपूर्ति आदेश निर्गत किया जाएगा। आपूर्ति आदेश के एक सप्ताह के भीतर स्वीकृत नमूना के अनुरूप उचित संख्या, साईज, गुणवत्ता, मात्रा के अनुसार सामग्री की आपूर्ति निश्चित रूप से कर देंगे, अन्यथा प्रतिभूति राशि जब्त कर उनके विरुद्ध कानून की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी।
12. स्वीकृत किए गए सामग्री की आपूर्ति नहीं किए जाने एवं आपूर्ति की गई सामग्रियों में गुणवत्ता तथा किसी प्रकार त्रुटि पाये जाने पर आपूर्तिकर्त्ता पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी एवं भुगतान नहीं किया जायेगा।
13. सफल निविदादाता को छोड़कर शेष निविदादाताओं को ई०एम०डी० राशि वापस कर दी जायेगी।
14. अंकित सामग्री/विशिष्टि के अतिरिक्त किसी प्रकार की अन्य सामग्री का दर न भरें।
15. कोई भी निविदा या दावा पटना जिला न्यायिक क्षेत्र के अधीन होगा एवं इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। विशेष जानकारी के लिए बिहार राज्य खाद्य आयोग कार्यालय, पटना से सम्पर्क कर सकते हैं।
16. सामग्री के गुणवत्ता को दृष्टि में रखते हुए न्यूनतम दर के निविदाकर्त्ता को अधिमानता दी जायेगी।
17. आपूर्ति सामग्री के गुणवत्ता एवं विशिष्टता सत्यापन के पश्चात सभी अनुमान्य करों की कटौती कर भुगतान किया जायेगा।
18. अपरिहार्य कारण से भुगतान में विलंब होने पर किसी भी प्रकार की सूद की राशि देय नहीं होगा।
19. बिना कारण बताये निविदा रद्द करने एवं ससमय सामग्री आपूर्ति नहीं करने पर निर्धारित दर पर अन्य निविदादाताओं से सामग्रियों की आपूर्ति लिया जा सकता है।
20. क्रय समिति द्वारा दर निर्धारण के पश्चात आवश्यकतानुसार सामग्रियों की मात्रा का निर्धारण बिहार राज्य खाद्य आयोग द्वारा किया जाएगा।

सदस्य सचिव

सामग्रियों की सूची

समूह : क

क्रम सं०	सामग्रियों का नाम	विशिष्टयाँ	दर प्रति यूनिट
1.	CCTV अधिष्ठापन	सम्पूर्ण कार्यालय में (8 camera set DVR सहित)	
2.	Computer	HP या समकक्ष (core i7)	
3.	U.P.S	HP या समकक्ष	
4.	Printer	HP Laserjet या समकक्ष	
5.	AC (Split) 1.5 Ton	VOLTAS या समकक्ष	
6.	स्टेबलाईजर	V Guard या समकक्ष	
7.	Photo Copier (Digital) Both side printing	Canon IR 2002N या समकक्ष	
8.	Stabiliser	V Guard या समकक्ष	
9.	पंखा (Pedestal)	Bajaj Supreme Plus 220watt air circular pedestal या समकक्ष	
10.	पंखा (Ceiling)	Bajaj Real Gold Premium 1400mm या समकक्ष	
11.	LED T.V (32")	Sony या समकक्ष	
12.	R.O	Kent या समकक्ष	

समूह : ख

क्रम सं०	सामग्रियों का नाम	विशिष्टयाँ	दर प्रति यूनिट
1.	सोफा सेट	Godrej parto sofa set या समकक्ष	
2.	Computer Table	Godrej Computer Table, Campamin-c-3 या समकक्ष	
3.	Computer Chair	Godrej chair model P CH-5Do2R या समकक्ष	
4.	डायरेक्टर टेबुल	Godrej Impress Main Desk Back chair या समकक्ष	
5.	डायरेक्टर Chair	Godrej Halo Very High या समकक्ष	
6.	Office Table	Godrej Table Model Enterprise 1500 Without-CPU Hanger या समकक्ष	
7.	Office Chair	Godrej Chair Model या समकक्ष	
8.	आगंतुक कुर्सी (For Chamber)	Godrej Chair Model या समकक्ष	
9.	अन्य कुर्सी	Godrej Nano Perch Three Seater Chair या समकक्ष	
10.	आलमारी	Godrej Storwel Plain With 4 Shelves या समकक्ष	
11.	Book Self	Godrej 4 Door Book Case या समकक्ष	
12.	Conference Table	Godrej या समकक्ष	

समूह – ग

1.	कार्यालय कक्षों का Aluminium Partition (सामग्री सहित)	

सदस्य सचिव